रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 695] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 10, 2015/कार्तिक 19, 1937
No. 695] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 10, 2015/KARTIKA 19, 1937

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 2015

सा.का.नि. 848 (अ).– कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 (2015 का सं. 11) की धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित निर्देश देती है, अर्थात् :-

नीलामी से प्राप्त आय का संग्रहण करने तथा नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा आबंटन से प्राप्त आय के संग्रहण हेतु प्रक्रिया :- नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी के आदेश द्वारा सफल बोलीदाता अथवा आबंटी को अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा 3 के खंड (ङ) के अधीन नीलामी से प्राप्त धनराशि अथवा आबंटन से प्राप्त राशि, जैसा भी मामला हो, संबंधित राज्य सरकार, जहां अनुसूची-I कोयला खान स्थित है, को नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी को सूचित करते हुए जमा करने का आदेश देता है।

[फा. सं. 54018/02/2015-सीए-II]
आर.पी. गुप्ता, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : पंजीकरण संख्या डी एल - (एन) 04/0007/2003-15 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II में मूल अधिनियम प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF COAL

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th November, 2015

G.S.R. 848(E).—In exercise of the powers conferred by Section 32 of the Coal Mines (Special Provisions) Act, 2015 (No. 11 of 2015) , the Central Government hereby direct the following, namely :-

Procedure of collecting the auction proceeds and the amount realised from allotment by Nominated Authority :- The Nominated Authority, may by order direct the Successful Bidder or Allottee to deposit, the auction proceeds under clause (e) of sub-section 3 of section 6 of the Act or the amounts realised from allotment, as the case may be, to the respective State Government where Schedule I Coal Mines is located with an intimation to the Nominated Authority.

[F.No. 54018/02/2015-CA-II]

R.P. GUPTA, Jt. Secy.